प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 04 दिसम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मासूम अली पुत्र श्री हिमायत अली, निवासी जनपद-मुरादाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25709/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-14.10.2020) दिनांक-14.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मासूम अली पुत्र श्री हिमायत अली, ग्राम-शाहपुर, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। दिनांक 21.05.2001 को अभियुक्तगणों ने देशी तमंचों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों को घायल कर दिया जिसके बाद धारदार चाकू से घायल 03 व्यक्तियों को काट डाला जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2001 भा0द0सं0 की धारा-148, 307/149, 302/149, के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 29.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2019 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.10.2020 तक 18 वर्ष 10 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 07 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में "बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है, जिससे तत्कालीन ग्राम प्रधान शराफत, मेंहदी हसन व मुबारक की मौके पर मृत्यु हो हुई थी, इस घटना का समाज पर व्यापक प्रभाव है, यह अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित नही है, वर्तमान में परिस्थितियों के आधार पर बदले की भावना से पुन: अपराध कारित करने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने" की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी के रिहा होने से समाज पर तथा निकटवर्ती चुनावी महौल पर प्रभाव पड़ने की आशंका के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता जघन्यता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मासूम अली पुत्र श्री हिमायत अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अत: स्पेशल लीव अपील (क्रिमि0) संख्या-2685-2686/2020 मासूम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य विथ स्पेशल लीव अपील (क्रिमि0) संख्या-2505/2020 में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 09.06.2020 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मासूम अली (बन्दी संख्या-9144) पुत्र श्री हिमायत अली, निवासी जनपद-मुरादाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-518/2020/**939**(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-518/2020/939/22-2-2020-ई-17(361)/2020

दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मासूम अली पुत्र श्री हिमायत अली, ग्राम-शाहपुर, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। दिनांक 21.05.2001 को अभियुक्तगणों ने देशी तमंचों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों को घायल कर दिया जिसके बाद धारदार चाकू से घायल 03 व्यक्तियों को काट डाला जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2001 भा0द0सं0 की धारा-148, 307/149, 302/149, के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 29.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2019 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.10.2020 तक 18 वर्ष 10 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 07 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में "बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है, जिससे तत्कालीन ग्राम प्रधान शराफत, मेंहदी हसन व मुबारक की मौके पर मृत्यु हो हुई थी, इस घटना का समाज पर व्यापक प्रभाव है, यह अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित नही है, वर्तमान में परिस्थितियों के आधार पर बदले की भावना से पुन: अपराध कारित करने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने" की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी के रिहा होने से समाज पर तथा निकटवर्ती चुनावी महौल पर प्रभाव पड़ने की आशंका के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता जघन्यता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मासूम अली पुत्र श्री हिमायत अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in